अध्याय-20

प्रतिवेदन का सारांश

अध्याय-1. पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और विचारार्थ विषयः

माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह ने वर्तमान विधान सभा के प्रथम सत्र में पिछड़े वर्गो के कल्याण व उत्थान के लिये श्री रामजी महाजन, विधायक की अध्यक्षता में समिति का गठन करने की घोषणा की। तत्पश्चात् समिति को ''मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग'' के रूप में परिवर्तित किया गया। आयोग का गठन शासकीय अधिसूचना क्रमांक एफ/8-3/80/2/25 दिनांक 17-11-80 द्वारा किया गया। अध्यक्ष को छोड़कर 6 सदस्य प्रथम अधिसूचना में ही नियुक्त किये गये। बाद में 3 सदस्य विभिन्न तिथियों में आयोग में सम्मिलित किये गये हैं। अध्यक्ष सहित 10 सदस्य हैं। विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

(1) मध्यप्रदेश में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो की पहचान करके उनके बाहुल्य का पता लगाना।

(2) पिछड़े वर्गो की उन्नति के लिये विशेष उपबंध सुझाना।

(3) इन वर्गो के शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के उपाय सुझाना।

(4) इन वर्गो को राज्याधीन नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व आश्वस्त करने के लिये, संविधान के अनुच्छेद 309 एवं अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत व्यवस्था करने के सुझाव देना।

(5) इन वर्गो के सामाजिक शोषण को दूर करने के उपाय सुझाना।

(6) छुआछूत के निवारण के उपाय सुझाना।

(7) पिछड़े वर्गो को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आश्वस्त करने के उपाय सुझाना।

(8) सामाजिक व आर्थिक उन्नति के उपाय सुझाना।

अध्याय-2 पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की आवश्यकता।

पुरातन काल से देश में व्याप्त वर्ग व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था ने जहाँ कुछ जातियों को धर्म के नाम पर समस्त अधिकार एवं सामाजिक प्रतिष्ठा उपलब्ध कराई है, वहीं बहुसंख्यक समाज को जाति व धर्म के नाम पर समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया। सामाजिक व आर्थिक असमानता को दूर करने के लिये भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार मिल सकें, उनका सर्वांगीण विकास हो, वह राष्ट्र की मुख्यधारा में जुड़ सकें, सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी हो, जिससे राष्ट्र सबल हो। इसलिये पिछड़े वर्गों की पहचान करने व उनकी उन्नति के उपाय सुझाने हेतु मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

अध्याय 3. आयोग की कार्यविधि

आयोग ने अध्ययन के उपरान्त प्रस्तावित पिछड़े वर्गो की एक सूची, जो कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के लिये दी गई थी, को आधार मानकर कार्य प्रारंभ किया। आयोग ने संवैधानिक व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन किया। सर्व साधारण के लिये प्रश्नावली जारी की। आर्थिक स्थिति जानने के लिये ग्राम अनुसूचियाँ तैयार करवाकर, विकास खंडों के चुने ग्रामों से मंगाई गई। पिछड़े वर्गो का शासकीय नौकरियों में प्रतिनिधित्व की वास्तविकता जानने हेतु जिला कलेक्टरों एवं विभागाध्यक्षों के माध्यम से आंकड़े मंगाये गये। प्रयास करने के बावजूद केवल 30 विभागों से जानकारी उपलब्ध हुई है।

शिक्षा सत्र 80-81 में पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों की कक्षा 9,10,11 में क्या संख्या है, इसके आंकड़े प्रदेश के हायरसेकेंडरी स्कूलों से, संभागीय शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त करने के लिये पत्र लिखे गये। उक्त शिक्षा सत्र में प्रदेश में हायरसेकेंडरी स्कूलों की संख्या 2,369 थी एवं शिक्षा संभाग 12 थे। भागीरथ प्रयास के बाद 6 संभागों से केवल 1137 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो सकी।

आयोग द्वारा 20,225 प्रश्नावलियों को वितरित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में 4395 उत्तर प्राप्त हुये हैं। इनके उत्तरों का अध्ययन कर विश्लेषण किया गया है। आयोग ने दक्षिण भारत के

प्रमुख राज्यों केरल, तामिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं पांडिचेरी का भ्रमण किया उन राज्यों में पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिये किये जा रहे कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त की। मध्यप्रदेश के 45 जिलों का भ्रमण किया गया। तहसील एवं जनपद मुख्यालयों तक जाने का प्रयास किया। चुने हुये ग्रामों में जाकर पिछड़े वर्ग के लोगों के रहन सहन, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके जानकारी संकलित की गई। बैठकों में अधिकारियों को भी पिछड़े वर्ग के संबंध में जानकारी दी गई। अधिकारियों से भी विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की गई।

जनगणना के आंकड़ों (सन् 1901, 1911, 1921, 1931) का अध्ययन किया गया। जिला कलेक्टरों को भी पिछड़े वर्गो की जनसंख्या की जानकारी हेतु लिखा गया। इस जानकारी को संकलित किया गया। सन् 1931 के बाद जनगणना रिपोर्ट में जाति के आधार पर आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

शिक्षा सत्र 80-81 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9,10 एवं 11 में अध्ययनरत छात्रों का राज्य औसत प्रतिहजार की दर से प्राप्त किया गया। इसके उपरांत प्रस्तावित पिछड़ी जातियों/वर्गो एवं समूहों के कक्षा 9,10 एवं 11 में अध्ययनरत छात्रों का प्रतिहजार औसत प्राप्त किया गया। इस प्रकार जिन पिछड़ी जातियों का औसत राज्य औसत से कम आया, उनको शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना गया। जिन पिछड़े वर्गो का शासकीय नौकरियों में प्रदेश में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिशत कम है, उनका शासकीय सेवाओं में आयोग ने अपर्याप्त प्रतिनिधित्व माना।

अध्याय 4. वर्ण व्यवस्था तथा उसका पिछड़े वर्गो पर प्रभाव

इस अध्याय में उल्लेखित तथ्यों का उद्देश्य किसी जाति, धर्म पर आक्षेप करना नहीं है। कल के लिये हम आज को अपराधी भी नहीं मानते हैं। हमारा उद्देश्य पिछड़े वर्गो की सामाजिक स्थिति के लिये उन ऐतिहासिक तथा धार्मिक व्यवस्थाओं का अवलोकन करना है, जिसने पिछड़ापन व सामाजिक असमानता को जन्म दिया।

वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा का निर्माण एक अत्यंत कुटिल एवं षड़यंत्रपूर्ण कार्य था। इनके द्वारा बहुसंख्यक मेहनतकश वर्ग को उच्च एवं निम्न वर्गो में बांटकर श्रेणी बद्ध समाज की रचना की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्य, ''द्विज'' (द्विजन्मा) को उच्च श्रेणी में तथा शूद्रों को निम्न श्रेणी में रखा गया। शुद्रों को अछूत शूद्र एवं सछूत शूद्र में विभाजित किया गया।

वर्ण एवं जाति व्यवस्था को भगवान द्वारा निर्मित घोषित किया गया। इस प्रकार इस व्यवस्था को धार्मिक आधार प्रदान करके सुदृढ़ किया गया। आचार्य मनु द्वारा अपने धर्म ग्रन्थ ''मनु स्मृति'' द्वारा ब्राह्मण को भूदेव एवं जाति शिरोमणि प्रतिपादित किया गया। शुद्रों को नीच करार देकर सामाजिक, आर्थिक असमानता का व्यापक क्षेत्र निर्मित किया गया। शुद्रों को विद्याध्ययन करने, वेद सुनने, धार्मिक कार्य करने से प्रतिबंधित किया। शूद्र को रखने से वंचित किया गया। शूद्र को अच्छा खाना, पहनना, सम्मान पूर्वक रहने से भी रोका गया। यह व्यवस्था कठोर थी। इसका उलंघन करने वाले शम्बूक का वध किया गया। भील बालक एकलव्य का अंगूठा काटा गया है। ''बिल्ली, नेवला, चिड़िया, मैंढक, कुत्ता, गधा, उल्लू, कौवा मार डालने पर जितना पाप होता है, उतना ही शूद्र को मार डालने पर होता है।'' (मनु स्मृति 11-31)

इस भेदभाव पूर्ण वर्ण एवं जाति व्यवस्था के ऊपर महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, महात्मागांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डा. भीमराव अम्बेडकर ने करारी चोट की। अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कानून, जन शिक्षा व आधुनिक विचारधारा, रेल, समाचार पत्र इत्यादि के कारण जातीय बंधन ढीले पड़ गये हैं। औद्योगीकरण ने भी जाति-प्रथा व वर्ण व्यवस्था की कठोरता को ढीला किया है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी एवं गुरू नानक देव ने हिन्दु धर्म की वर्ण व्यवस्था की संकीर्णता एवं कठोरता को समाप्त करने के लिये अलग धर्म प्रारंभ किया।

अध्याय 5. सामाजिक न्याय तथा आत्म सम्मान प्राप्ति हेतु सुधारों की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

'मानव-मानव की बराबरी का सिद्धान्त सभ्यता के विकास की पहली सीढ़ी है। धार्मिककट्टरता, संकीर्णता को समाप्त करने के लिये समय-समय पर सुधारकों ने पिछड़े वर्ग एवं अछूत वर्ग को जागरूक करने का प्रयास किया है। हिन्दू समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था के ऊपर गहरी चोट की। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म इत्यादि का जन्म इन्हीं कारणों से हुआ है।

सन् 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम मराठी में ''गुलामगिरी'' पुस्तक लिखकर ब्राह्मणवाद के विरूद्ध खुलकर प्रहार किया। अछूताद्धार का कार्य अपने हाथ में लेकर उनमें शिक्षा का प्रसार करना प्रारंभ किया। डाक्टर अंबेडकर ने उनको अपना धर्म गुरू मानकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने भी वर्ण व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुये अछूतों को उनका अधिकार दिलाने की हिमायत की।

दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का शासकीय नौकरियों में एकाधिकार के विरूद्ध आन्दोलन प्रारंभ हुआ। मांग तेजी पकड़ती गई। सन् 1885 में शिक्षा संहिता लागू की गई। सन् 1921 में गैर ब्राह्मणों को शासकीय नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। सन् 1926 में विस्तार किया गया। सन् 1918 में मैसूर देशी रियासत ने गैर ब्राह्मणों की शासकीय नौकरियों में आरक्षण दिया है। बम्बई प्रांत की सरकार ने भी 1930 में इस ओर प्रयास किया। पेरियार ई.बी. रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद के विरूद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। आत्म सम्मान एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने का आंदोलन व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया। सन् 1934 में अनुसूचित जातियों के लिये शासकीय नौकरियों में आरक्षण देने का प्रयास प्रारंभ हुआ। सन् 1943 में उनका प्रतिशत 8.50 निश्चित किया गया और सन् 1946 में उनकी आबादी के अनुपात में बढ़ाकर 12.50 प्रतिशत किया गया। यह आरक्षण सन् 1948 में अनुसूचित जनजातियों के लिये भी प्रदान किया गया।

15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गो की सूची बनाने व उनको अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के अंतर्गत सुविधायें प्रदान करने हेतु 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को प्रस्तुत की। पिछड़े वर्गो के लिये प्रथम श्रेणी में 25% द्वितीय श्रेणी में 33.1/3 प्रतिशत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये 40 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की 70% स्थान तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाओं में आरक्षित करने की सिफारिश की। सामाजिक न्याय एवं आत्म सम्मान प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयासों का रोचक इतिहास है।

अध्याय 6- द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी 1979 को श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है।

आयोग ने शासकीय सेवाओं में 27% आरक्षण देने की सिफारिश के साथ, प्रोन्नति में भी इस व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की। तकनीकी, व्यावसायिक व वैज्ञानिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण पिछड़े वर्गो को देने की सिफारिश की गई है। आर्थिक उत्थान के लिये वित्त निगम स्थापित करने को केन्द्र सरकार से कहा गया है। 30 अप्रैल 1982 को कार्यवाही ज्ञापन के साथ

वर्ण एवं जाति व्यवस्था को भगवान द्वारा निर्मित घोषित किया गया। इस प्रकार इस व्यवस्था को धार्मिक आधार प्रदान करके सुदृढ़ किया गया। आचार्य मनु द्वारा अपने धर्म ग्रन्थ ''मनु स्मृति'' द्वारा ब्राह्मण को भूदेव एवं जाति शिरोमणि प्रतिपादित किया गया। शुद्रों को नीच करार देकर सामाजिक, आर्थिक असमानता का व्यापक क्षेत्र निर्मित किया गया। शुद्रों को विद्याध्ययन करने, वेद सुनने, धार्मिक कार्य करने से प्रतिबंधित किया। शूद्र को रखने से वंचित किया गया। शूद्र को अच्छा खाना, पहनना, सम्मान पूर्वक रहने से भी रोका गया। यह व्यवस्था कठोर थी। इसका उल्लंघन करने वाले शम्बूक का वध किया गया। भील बालक एकलव्य का अंगूठा काटा गया है। ''बिल्ली, नेवला, चिड़िया, मैंढक, कुत्ता, गधा, उल्लू, कौवा मार डालने पर जितना पाप होता है, उतना ही शूद्र को मार डालने पर होता है।'' (मनु स्मृति 11-31)

इस भेदभाव पूर्ण वर्ण एवं जाति व्यवस्था के ऊपर महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, महात्मागांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डा. भीमराव अम्बेडकर ने करारी चोट की। अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कानून, जन शिक्षा व आधुनिक विचारधारा, रेल, समाचार पत्र इत्यादि के कारण जातीय बंधन ढीले पड़ गये हैं। औद्योगीकरण ने भी जाति-प्रथा व वर्ण व्यवस्था की कठोरता को ढीला किया है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी एवं गुरू नानक देव ने हिन्दु धर्म की वर्ण व्यवस्था की संकीर्णता एवं कठोरता को समाप्त करने के लिये अलग धर्म प्रारंभ किया।

अध्याय 5. सामाजिक न्याय तथा आत्म सम्मान प्राप्ति हेतु सुधारों की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

'मानव-मानव की बराबरी का सिद्धान्त सभ्यता के विकास की पहली सीढ़ी है। धार्मिककट्टरता, संकीर्णता को समाप्त करने के लिये समय-समय पर सुधारकों ने पिछड़े वर्ग एवं अछूत वर्ग को जागरूक करने का प्रयास किया है। हिन्दू समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था के ऊपर गहरी चोट की। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म इत्यादि का जन्म इन्हीं कारणों से हुआ है।

सन् 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम मराठी में ''गुलामगिरी'' पुस्तक लिखकर ब्राह्मणवाद के विरूद्ध खुलकर प्रहार किया। अछूताद्वार का कार्य अपने हाथ में लेकर उनमें शिक्षा का प्रसार करना प्रारंभ किया। डाक्टर अंबेडकर ने उनको अपना धर्म गुरू मानकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने भी वर्ण व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुये अछूतों को उनका अधिकार दिलाने की हिमायत की।

दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का शासकीय नौकरियों में एकाधिकार के विरूद्ध आन्दोलन प्रारंभ हुआ। मांग तेजी पकड़ती गई। सन् 1885 में शिक्षा संहिता लागू की गई। सन् 1921 में गैर ब्राह्मणों को शासकीय नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। सन् 1926 में विस्तार किया गया। सन् 1918 में मैसूर देशी रियासत ने गैर ब्राह्मणों की शासकीय नौकरियों में आरक्षण दिया है। बम्बई प्रांत की सरकार ने भी 1930 में इस ओर प्रयास किया। पेरियार ई.बी. रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद के विरूद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। आत्म सम्मान एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने का आंदोलन व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया। सन् 1934 में अनुसूचित जातियों के लिये शासकीय नौकरियों में आरक्षण देने का प्रयास प्रारंभ हुआ। सन् 1943 में उनका प्रतिशत 8.50 निश्चित किया गया और सन् 1946 में उनकी आबादी के अनुपात में बढ़ाकर 12.50 प्रतिशत किया गया। यह आरक्षण सन् 1948 में अनुसूचित जनजातियों के लिये भी प्रदान किया गया।

15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गो की सूची बनाने व उनको अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के अंतर्गत सुविधायें प्रदान करने हेतु 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को प्रस्तुत की। पिछड़े वर्गो के लिये प्रथम श्रेणी में 25% द्वितीय श्रेणी में 33.1/3 प्रतिशत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये 40 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की 70% स्थान तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाओं में आरक्षित करने की सिफारिश की। सामाजिक न्याय एवं आत्म सम्मान प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयासों का रोचक इतिहास है।

अध्याय 6- द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी 1979 को श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है।

आयोग ने शासकीय सेवाओं में 27% आरक्षण देने की सिफारिश के साथ, प्रोन्नति में भी इस व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की। तकनीकी, व्यावसायिक व वैज्ञानिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण पिछड़े वर्गो को देने की सिफारिश की गई है। आर्थिक उत्थान के लिये वित्त निगम स्थापित करने को केन्द्र सरकार से कहा गया है। 30 अप्रैल 1982 को कार्यवाही ज्ञापन के साथ

रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत हो चुकी है। लोक सभा में 11 अगस्त 1982 को चर्चा हुई। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई है। अप्रैल 1983 को मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर केन्द्र सरकार ने चर्चा की एवं राय ली। सचिवों की समिति ने रिपोर्ट का परीक्षण किया है। इस समय यह रिपोर्ट मंत्रिमंडलीय उपसमिति के विचाराधीन है। आयोग द्वारा पिछड़े वर्गो के शैक्षणिक, आर्थिक उत्थान के लिये अन्य बहुत सी सिफारिशें की गई हैं।

अध्याय 7. कुछ राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गो की स्थितिः

देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं एवं राज्यसेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किए गए आरक्षण की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सरकारी सेवाओं में आरक्षण	शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	25%	25%
2.	असम	शून्य	शून्य
3.	बिहार	प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में 25% तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में 30%	उपलब्ध नहीं है।
4.	गुजरात	राजपत्रित 5 प्रतिशत अराजपत्रित 10 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी 10 प्रतिशत	 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत
5.	हरियाणा	10 प्रतिशत	2 प्रतिशत

1	2	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश	5%	2%
7.	जम्मू व कश्मीर	42%	42%
8.	कर्नाटक	48%	50%
9.	केरल	40%	25%
10.	मध्यप्रदेश	शून्य	शून्य
11.	महाराष्ट्र	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
12.	उड़ीसा	शून्य	शून्य
13.	पंजाब	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत
14.	राजस्थान	शून्य	शून्य
15.	तामिलनाडु	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
16.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
17.	उत्तर प्रदेश	15 प्रतिशत	15 प्रतिशत
18.	दिल्ली	शून्य	शून्य
19.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य

अध्याय 8- भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा पिछड़ा वर्ग

प्रस्तावना किसी् अधिनियम के मुख्य आदर्शो् एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। संविधान का उद्देश्य भारतीय जनता को (1) न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक (2) स्वतंत्रता-पद एवं अवसर (3) बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता।

संविधान के अनुच्छेद 14 में भारतीय नागरिकों के बहुमूल्य लोक तंत्रीय अधिकार का अथवा कानून के समक्ष सभी समान हैं, के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्यक्षतः समता का सिद्धांत बहुत ही उचित और सही लगता है। सामाजिक न्याय की एक उक्ति है कि, ''समानता केवल समान लोगों के बीच होती है। असमान के साथ समान जैसा व्यवहार करना असमानता को स्थिरता प्रदान करता है।'' समानता का नवीन दृष्टिकोण ''परिणाम की समानता'' से संबंधित है, जो कि राज्य द्वारा सुनिश्चित कार्यक्रम एवं कार्यवाही करके असमानता घटाने के प्रयास से किया जा सकता है। समानता की मॉग अन्याय, अयोग्य एवं विधि विरूद्ध असमानता को चुनौती देना है। यह अवसर आकस्मिक असमानता अनुचित शक्ति एवं संग्रहीत विशेषाधिकारों के विरूद्ध मनुष्य के विद्रोह का प्रतीक है।

अध्याय 9- संवैधानिक व्यवस्था तथा पिछड़ा वर्ग

संविधान निर्माता समाज के कमजोर वर्गो को सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत के प्रति पूर्ण सजग थे। अनुच्छेद 15(4), 16(4), 29(2), 46,335, 338 (3) एवं 340 में पिछड़े वर्गो की उन्नति की व्यवस्था की गई है।

प्रमुख व्यवस्था निम्न है:-

अनुच्छेद 15(4) ''इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की किसी बात से राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्ही नागरिकों के वर्गो की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने में बाधा न होगी''

अनुच्छेद 16(4) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में हुए किसी नागरिकों न्यायिक वर्ग के पक्ष में, जिनका

प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों के रक्षण के लिए उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।

अनुच्छेद 46:- ''राज्य के दुर्बलतर वर्गों के लिए विशेषतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा अनुच्छेद 366(24), 366(25) में की गई है। पिछड़ा वर्ग की परिभाषा संविधान में नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की व्यवस्था की गई है।

राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में की गई है। राज्य सरकारों को भी अपने अलग आयोग बनाकर कार्यवाही करने का अधिकार। इसके लिए उच्चतम न्यायालय का निर्णय ए.आई.आर. 1963 सु.को. 649 सु.को. महत्वपूर्ण है। जिसमें यह अभिनिर्धारित है कि राज्य सरकार पिछड़े वर्गो के लिए प्रशासनिक आदेश द्वारा कार्यक्रम बना सकती है। राष्ट्रपति द्वारा आयोग नियुक्त करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

अध्याय-10 सामाजिक व शैक्षणिक पिछडा़पन निर्धारण के मानदण्ड उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अभिमत

अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) का अनुपालन करते हुए राज्य सरकारों ने सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है और ऐसे आदेशों के विरूद्ध उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों में अनेक अपीलें दायर की गई हैं। इस विषय पर धीरे धीरे एक अच्छी खासी निर्णय विधि बन गई है, जिसका सारांश नीचे दिया है।

हिन्दू समुदाय के बीच अन्य पिछड़ा वर्गो को पहचानने में जाति एक सुसंगत तत्व है। पिछड़ापन सामाजिक तथा शैक्षिक दोनों तरह का होना चाहिए, न कि सामाजिक या शैक्षिक। जाति नागरिकों एक वर्ग भी है और यदि कोई जाति पूर्ण रूपसे सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी है, तो ऐसी जाति के पक्ष में आरक्षण इस आधार पर किया जा सकता है कि अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत यह सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों का एक वर्ग है। पिछड़े वर्गो का ''पिछड़ा'' और ''सर्वाधिक पिछड़ा'' वर्ग में विभाजन अनुच्छेद 15(4) के अनुकूल नहीं है।

अनुच्छेद 15(4) के लिए अधीन पदों का कुल आरक्षण 50% से कम होना चाहिए।

अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर उपयुक्त आरक्षण कौन सा होगा, प्रत्येक मामले के संम्बध में कोई गणित का फामूर्ला नही बनाया जा सकता, जिसका सभी मामलों में उसका पालन किया जा सकें। यह नियम सावधानी बरतने के लिये है। किसी राज्य में नागारिकों के अनेक पिछड़े हुए वर्ग हैं, जिनकी जनसंख्या 80% है, तो सरकार 80 प्रतिशत आरक्षण कर सकती है। संविधान में आरक्षण की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। न्यायाधीशों द्वारा 50 प्रतिशत का नियम केवल सुविधाजनक मार्गदर्शन के लिए अभिकथित किया गया है। 50 प्रतिशत के नियम के बारे में कोई कठोरता नहीं है।

अन्य पिछड़ा वर्गों की पहचान के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित विषय परक मानदण्ड बनाया जाना चाहिये।

अध्याय-11 आयोग द्वारा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन निर्धारण करने के मानदण्ड

मध्यप्रदेश के 45 जिलों का भ्रमण आयोग द्वारा किया गया है। साक्ष्य, अभ्यावेंदन प्रश्नावलियों के उत्तर, ग्रामीण अनुसूचियों का विश्लेषण, शिक्षा व नौकरियों के सम्बन्ध में प्राप्त आकड़ों को एकत्र करके, उनका विश्लेषण किया गया।

शिक्षा सत्र 80-81 में कक्षा 9वी, 10वी एवं 11वी कक्षाओं में अध्ययन रत छात्रों को राज्य औसत प्रति हजार की दर से प्राप्त किया गया है। इसके उपरान्त समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पिछड़े वर्गो के अध्ययनरत छात्रों का कक्षा 9,10 एवं 11 कक्षा में प्रति हजार की दर से प्रतिशत प्राप्त किया गया है। जिन पिछड़ी जातियों का प्रति हजार औसत राज्य के औसत से कम है, उनको शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना गया है। राज्याधीन सेवाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में पिछड़े वर्गो के कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत, जिन 30 विभागों से प्राप्त जानकारी के प्रतिशत से कम है, उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शासकीय सेवाओं में माना गया है। सामाजिक पिछड़ापन के लिये निम्न मानदंड निर्धारित किये गये है: (1) हिन्दू समाज में निम्न सामाजिक स्थिति (2) पिछड़े वर्गो एवं जातियों में आम सामाजिक स्थिति (3) परम्परा के अनुसार तीन माने जाने वाली आजीविकायें (4) शासकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व (5) रहन सहन व आवास व्यवस्था (6) राजनैतिक क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व (7) वे जातियाँ/वर्ग जिनमें 17 वर्ष से कम आयु के पुरूष व महिलायें विवाह कर लेते हैं (8) वे जातियॉ/वर्ग, जहॉ उपभोक्ता ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या बहुत अधिक है।

गैर हिन्दू समुदायों के पिछड़े वर्गो के लिये निर्धारित मानदंड:

(1) किसी गैर हिन्दू धर्म में परिवर्तित सभी अछूतों (2) ऐसे व्यवसायी समुदायी जो परम्परागत और वंशगत व्यवसायों से जाने जाते है।

अध्याय-12 साक्ष्यों का विवेचन

आयोग के भ्रमण के दौरान पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्ति भारी संख्या में उपस्थित हुऐ है, तथा अपनी जाति एवं वर्गो के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी है।

आयोग द्वारा 75 प्रश्नों की प्रश्नावली में (अ) सामाजिक स्थिति (ब) शैक्षणिक स्थिति (स) आर्थिक स्थिति (द) राजनैतिक स्थिति के सम्बंध में प्रश्न पूछे गए है। उनके उत्तर व्यक्तिगत तौरपर तथा अन्य सामाजिक व जातिय संगठनों द्वारा भरकर भिजवाऐं गए है। आयोग को प्रश्नावलियों के उत्तर से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई है। आयोग ने प्रश्नावलियों में दिए गए उत्तरों का विश्लेषण किया है, जिससे पिछड़े वर्गो की सामाजिक स्थिति व पिछड़ापन, आर्थिक स्थिति व उनके उपर होने वाले सामाजिक शोषण का पता लगता है। पिछड़े वर्गो के साथ अभी भी भेदभाव बरता जाता है। आयोग के प्रदेश में निवास करने वाली जातियों, उनकी उपजातियों, व्यवसाय की जानकारी, इनके माध्यम से उपलब्ध हुई है। बाल- विवाह, विधवा विवाह अन्य प्रकार के सामाजिक व जातीय रीति रिवाजों की जानकारी भी आयोग को प्राप्त हुई। मौखिक साक्ष्यों को लिपि बद्ध किया गया है, उनसे भी आयोग ने महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। किस पिछड़े वर्ग का किस प्रदेश के किस क्षेत्र में बाहुल्य है, इस सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त हुई है। प्रश्नावलियों के उत्तर में व मौखिक साक्ष्यों के दौरान शत प्रतिशत लोगों ने जाति को पिछड़ापन निर्धारण करने में सुसंगत तत्व का सुझाव दिया है।

अध्याय-13 पिछड़े वर्गो की पहचान

आयोग द्वारा शैक्षणिक व सामाजिक पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न जातियों/वर्गो से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने दिनॉक 6-12-82 एवं 4-2- 83 को पिछड़ी जातियों को मान्यता देकर अधिसूचनाऐं जारी की हैं। इसके उपरान्त बहुत से अभ्यावेदन विभिन्न जातियों एवं समुदायों के प्राप्त हुए हैं। कई विधायकों ने भी आयोग के समक्ष लिखित अभ्यावेदन कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल करने के सम्बन्ध में दिये है। समस्त अभ्यावेदनों व साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत आयोग पिछड़ी

जातियों/वर्गो/समूहों की सूची, जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हैं, उनको स्वीकार करके, संविधान के अनुच्छेद 15(4) व अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत वर्गीकृत करके, इस अध्याय में शामिल किया गया है। जातियों/वर्गो के व्यवसाय के सम्बन्ध में भी उल्लेख संक्षिप्त रूप में किया है।

अध्याय-14:- समाज के कमजोर वर्गो के अर्थ तथा शिक्षा सम्बन्धी हितों की सुरक्षा के उपायः-

अनुच्छेद 46 के अंतर्गत पिछड़े वर्गो के शिक्षा एवं आर्थिक उन्नति की व्यवस्था है। उनके उत्थान के लिए निम्न बिन्दुओं पर सुझाव व सिफारिशें की गई हैः-

(1) **शैक्षिक विकासः-** के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने, शिक्षण शुल्क माफ करने तथा तकनीकी, व्यवसायिक एवं वैज्ञानिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्गो के सीट आरक्षित करने की माँग की गई है, अन्य शैक्षणिक सुविधाओं सम्बन्धी भी मांग की गई है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के पश्चात उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति प्रदान करने, शिक्षा की सुविधाऐं प्रदान करने की मांग की गई एवं सुझाव दिये गये हैं।

(2) **आर्थिक विकासः-** के लिए पिछड़े वर्गो के परम्परागत धंधों में आर्थिक सहायता विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान करने की सिफारिश की गई है। पिछड़े वर्गो को समस्त प्रकार की आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में पिछड़ा वर्ग उत्थान निगम स्थापित करने का सुझाव व सिफारिश की गई है।

(3) **आवास समस्या एवं स्वास्थ्यः-** पिछड़े वर्गो के लोग अधिकांशतः ग्रामीण अंचलों में रहते हैं। उनका निवास कच्चें घरों व घास फूस की झोपड़ियों में है। उनके पशु भी वहीं पर बंधतें है, जहां पर वे निवास करते है। इसी कारण उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। शासन से पिछड़े वर्गो को आवास सम्बन्धी सुविधाऐं प्रदान करने की सिफारिश की गई है। म.प्र. ग्रामीण आवास मंडल द्वारा निर्मित मकानों को पिछड़े वर्गो के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग की गई है।

(4) **सामाजिक न्यायः-** ग्रामीण अंचलों में पिछड़े वर्गो के साथ अभी भी ऊंच-नीच का भेदभाव बरता जाता है। जातियों के आधार पर छोटा बड़ा लोगों को माना जाता है। उठने-बैठने, खाने पीने, रहन सहन में भी भेदभाव

अभी भी मौजूद है। इस सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए सरकार को प्रचार साधनों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है।

अध्याय 15 :- पिछड़ा वर्गो को आरक्षण व उसका संवैधानिक अधिकार:-

आरक्षण व्यवस्था के प्रथम प्रवर्तक आचार्य मनु है। **चतुर्वर्ण** व्यवस्था का प्रतिपादन करते हुए समाज में ब्राह्मणों को सर्वेसर्वा मानकर उनके लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया संस्कृत पढ़ने व पढ़ाने का अधिकार, केवल ब्राह्मणों के लिये आरक्षित कर दिया गया। मँदिर का पुजारी केवल ब्राह्मण हो सकता है, दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, आरक्षण व्यवस्था जाति के आधार पर की गई, जिससे सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिला। मनु द्वारा प्रतिपादित, यह आरक्षण व्यवस्था लगभग 3 हजार वर्षो से चली आ रही है, जिससे पिछड़े वर्गो, शूद्रो की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हालत दयनीय होती गई। इस जाति व्यवस्था को धर्म का कलेवर पहनाया गया।

उक्त असमानता को समाप्त करने के लिए पिछड़े वर्गो व अछूतों को बहुत बड़ा त्याग व संघर्ष करना पड़ा है। धीरे धीरे इसमें सुधार परिलक्षित हुए। इन वर्गों को समानता का अधिकार व आत्म सम्मान के लिए सुधारता के कार्यक्रम प्रारंभ हुये। ब्राह्मणों के शासकीय सेवाओं में एकाधिकार के विरूद्ध पिछड़ी जातियाँ व शूद्र वर्ग भी शासकीय नौकरियों में हिस्सेदारी की माँग करने लगे। ब्रिटिश शासन काल के अंतिम चरण में शासकीय नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था पूरी तरह स्थापित हो गई थी। मद्रास एवं मैसूर राज्यों में गैर ब्राह्मणों को शासकीय सेवाओं में स्थान आरक्षित किये।शनैः शनैः पिछड़ा वर्ग शब्द का उद्‌गम हुआ।

डा. अम्बेडकर अछूत वर्गो के लिए अधिकारों की मांग बराबर करते रहे। संविधान निर्माण मे उनकी अहम भूमिका थी। राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी, पं. जवाहरलाल नेहरू भी पिछड़े वर्गों को उनकी समानता के अधिकार देने के पक्षधर थे। संविधान सभा में हुई बहसों से यह स्पष्ट है पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों को शासकीय नौकरियों में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 16(4) की व्यवस्था की गई। बाद में संविधान में प्रथम संशोधन करके अनुच्छेद 15(4) जोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई। आर्थिक स्थिति के सुधार के लिये अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया।

अध्याय 16 शैक्षणिक पिछडा़पन को समाप्त करने के प्रभावी उपाय

आयोग द्वारा संकलित ऑकड़ों से स्पष्ट है कि पिछड़े वर्गो के डाक्टर, इंजीनियर नगण्य है।

तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों में भी इनकी भागीदारी बहुत कम है। इस असमानता को समाप्त करने के लिए उच्च शिक्षा में सुविधाऐं प्रदान करना आवश्यक है। इसलिए आयोग ने पिछड़े वर्गो के छात्रों के लिए मेडिकल, आयुर्वेदिक, इंजीनियरिंग कालेजों, तकनीकी व व्यवसायिक संस्थानों इत्यादि में 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की है। इस आरक्षण व्यवस्था को 30 वर्ष में पुनरीक्षित किया जाय। यह आरक्षण अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत होगा।

अध्यायः-17 सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो का नौकरियों में आरक्षण

आयोग द्वारा संकलित ऑकड़ों से स्पष्ट है कि राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गो का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आकार को देखते हुए बहुत ही कम है। इसलिए सरकार को चाहिये कि पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिए समता प्रदान करने के लिए ऐसी कुशल नीति अपनाए ताकि वे लोग राज्य के अधीन सेवाओं में सम्मिलित हो सके। लोक सेवाओं में पिछड़े वर्गो को आरक्षण, राज्य की बहुमुखी व्यूह रचना का एक भाग है।

संविधान में आरक्षण की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य के मामले में अनुच्छेद 15(4) के तहत यह अभिनिर्धारित किया था कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। बाद के निर्णयों केरल राज्य बनाम एन.एम.थामस एवं शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ के मामले में इस सिद्धॉत को उलट दिया है। इन निर्णयों में क्रमशः 68.1/2 प्रतिशत 65.1/2 प्रतिशत आरक्षण को वैध माना गया है।

आयोग ने इस प्रदेश में पिछड़े वर्गो की आबादी 48.08 प्रतिशत (अनुमानित) मानी है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। पिछड़े वर्गो के लोगों की आबादी के अनुपात में आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन आयोग ने पिछड़े वर्गो के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण समस्त शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं में देने की सिफारिश की है। आयोग ने प्रोन्नति एवं चयन पदों में भी आरक्षण की सिफारिश की है। योग्यता के आधार पर भर्ती व सफल उम्मीदवारों को आरक्षण कोटा में समायोजित नही किया जाये।

अध्याय-18 पिछड़े वर्गो की जनसंख्या तथा कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत

जनसंख्या की क्रमबद्ध जातिवार गणना 1881 में भारत के महापॅजीयक द्वारा शुरू की गयी थी और वर्ष 1931 के बाद इसे छोड़ दिया गया था। इसलिये वर्ष 1931 के आगे जातिवार

जनसंख्या के ऑकड़े उपलब्ध नहीं है, परन्तु ग्वालियर देशी **रियासत** की जनगणना सन 1941 तक जातिवार उपलब्ध है। पिछली आधी शताब्दी के बाद से विभिन्न जातियों, समुदायों तथा धार्मिक वर्गो की जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग कमोवेश वही रही। इसलिए इनका प्रतिशत निकालना संभव है, क्योकि ये सभी समूह देश की कुल संख्या का निर्माण करते हैं।

सन् 1921 की जनगणना के समय ग्वालियर राज्य, सेन्ट्रल इंडिया एजेन्सी में शामिल था, लेकिन 1931 में इस स्टेट के लिए रेसीडेन्सी कायम हो गई इसलिए 1931 में ग्वालियर स्टेट की अलग तथा सेन्ट्रल इंडिया एजेन्सी की अलग जनगणना हुई। सेन्ट्रल इंडिया ऐजेन्सी (ग्वालियरसहित) की जनगणना में मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी देशी **रियासतों** का भूभाग शामिल था एवं सेन्ट्रल **प्राविन्सेस** एण्ड बरार की जनगणना में महाराष्ट्र में 1955 में 8 शामिल जिले (बुल्ढाना, नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल, वर्धा, अमरावती, अकोला, तथा भंडारा) को छोड़कर अर्थात महाकोशल के 17 जिलो की जनगणना तथा छत्तीसगढ़ की तत्कालीन देशी रियायतों की जनगणना को जोड़ने पर वर्तमान मध्यप्रदेश की अनुमानित आबादी प्राप्त की गई है। सन् 1901, 1911, 1921, एवं 1931 की जनगणनाओं के आधार पर पिछड़े वर्गो की जातिवार जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। प्रत्येक दशक में हुई जनसंख्या की वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुऐ प्रति दशक 30 प्रतिशत के दर से वृद्धि करके सन् 1982 की जनसंख्या प्राप्त की गई।

अध्याय 19: आयोग की अनुशंसाऐं

इस अध्याय में आयोग की अनुशंसाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रमुख अनुशंसाऐं निम्न है:-

(1) शैक्षणिक उत्थान हेतु अनुशंसायें

(1) अध्याय 13 में प्रस्तावित पिछड़ी जातियों का सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ावर्ग घोषित किया जाऐ।

(2) राज्य द्वारा संचालित एवं राज्य निधि से सहायता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं तकनीकी, व्यवसायिक एवं वैज्ञानिक संस्थाओं में 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें।

(3) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की आगे की कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जाय, छात्रावास की नि:शुल्क व्यवस्था करके समस्त खर्च वहन किया जाय।

2- शासकीय नौकरियों में आरक्षण:-

(1) राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गो को 35 प्रतिशत आरक्षण **प्रदान** किये जाने की सिफारिश की गई है। आरक्षण प्रोन्नति एवं चयन पदों में भी लागू किया जाय। योग्यता के आधार पर भर्ती व सफल उम्मीदवारों को आरक्षण कोटा में समायोजित न किया जाय।

(2) आरक्षण की व्यवस्था, अर्धशासकीय सेवाओं, निजी एवं सार्वजनिक संस्थानों में भी लागू की जाय। सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों में तथा अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाय।

3- आर्थिक उन्नति के लिय अनुशंसायें:-

(1) पिछड़ा वर्ग उत्थान निगम स्थापित किया जाय।

(2) पिछड़े वर्गो के परम्परागत व्यवसायों को **पुनर्जीवित** करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाय।

4. आम अनुशंसाये:

(1) पिछड़ा वर्ग संचालनालय का गठन जिला स्तर तक किया जाये.

(2) पिछड़ा वर्ग सलाहकार समिति स्थापित की जाये.

रामजी महाजन, अध्यक्ष.

टीकाराम यादव, सदस्य.

टेटकूराम साहू, सदस्य.

नन्हें लाल पटेल, सदस्य.

लालाजी पटेल, सदस्य.

कामता प्रसाद कुशवाहा, सदस्य.

वैजनाथ चन्द्राकर, सदस्य.

सरनाम सिंह घुरैया, सदस्य.

जगन्नाथ सिंह यादव, सदस्य.

पुसऊ लाल रहांगडाले, सदस्य.

डा. ओम प्रकाश अग्रवाल, सचिव.

भोपाल,
दिनांक 22 दिसंबर, 1983.